दिनांक 21.11.2017 को कृषि निदेशक, बिहार की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में सभी योजनाओं के नोडल पदाधिकारियों की आयोजित बैठक की कार्यवाही :—

सर्वप्रथम कृषि निदेशक, बिहार द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया।

1. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कृषि विभाग द्वारा योजना मद में व्यय की गई राशि की स्थिति बहुत ही दयनीय है। जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा कोषागार से राशि की निकासी एवं कोषागार में भेजा गया विपत्र संबंधी प्रतिवेदन गुगल डॉक पर अपलोड नहीं किया गया है। जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया, गोपालंज, मधुबनी एवं सुपौल में अभी तक 10 प्रतिशत से भी कम राशि व्यय की गयी है। **निदेश दिया गया कि दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 तक सभी जिला कृषि पदाधिकारी कुल स्वीकृत राशि का 60 प्रतिशत राशि अवश्य व्यय करना सुनिश्चित करें अन्यथा उनपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने हेतु अनुशंसा कर दी जायेगी।**

   (अनु0—सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

2. **सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) की यह पूर्ण जिम्मेवारी होगी कि वे अपने अधीन जिलों में सभी योजना अन्तर्गत फरवरी, 2018 तक शत—प्रतिशत राशि तथा दिनांक 15.12.2017 तक 60 प्रतिशत राशि व्यय कराना सुनिश्चित करायें। राशि की निकासी क्यों नहीं हो रही है इसकी समीक्षा प्रतिदिन सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) करेंगे एवं प्रतिदिन संध्या 6.00 बजे अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।**

   (अनु0—सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक, शष्य)

3. निदेश दिया गया कि जिला कृषि पदाधिकारियों को जो राशि आवंटित की गई है। उसका साप्ताहिक लक्ष्य बाँट कर प्रति सप्ताह मूल्यांकन करें। **सभी योजना अन्तर्गत निकासी एवं कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा प्रत्येक शनिवार को पूर्वाहन् 11.00 बजे से अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जायेगी। इसमें सभी योजना के नोडल पदाधिकारी, सभी जिला नोडल पदाधिकारी एवं सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) भाग लेंगे।**

   (अनु0—सभी संबंधित पदाधिकारी)

4. सभी जिला नोडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे जिलों में जायें, वहाँ प्रखंडवार/पंचायतवार इसकी समीक्षा करें कि क्यों राशि की निकासी नहीं हो पा रही है। कोषागार में अगर कोई समस्या हो रही हो तो उसका निदान करायें।

   (अनु0—सभी जिला नोडल पदाधिकारी)

5. कृषि विभाग में ज्यादातर योजनाएँ किसानों को अनुदान देने से संबंधित है। अब अनुदान का भुगतान डी0बी0टी0 (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से किया जा रहा है। शिकायत मिल रही है कि अनुदान की राशि देने में कुछ सरकारी कर्मियों द्वारा अपने पद का दुरूपयोग किया जा रहा है तथा किसानों को अनावश्यक तंग किया जा रहा है। यह गंभीर विषय है। जहाँ

किसानों के अनुदान की राशि को 15 दिनों से अधिक रोकी जाएगी, वह निगरानी के केश के दायरे में आएगा।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

6. योजनाओं के कार्यान्वयन में सबसे कम उपलब्धि पाये जाने वाले पाँच जिला कृषि पदाधिकारियों से कारण पृच्छा की जायेगी तथा इसे विभागीय वेबसाईट पर लोड कर दिया जाएगा।
7. निदेश दिया गया कि कृषि यांत्रिकीकरण योजना अन्तर्गत कृषकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने के एक माह के अन्दर अनुदान की राशि कृषक के खाता में जमा हो जाना चाहिए।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

8. कृषि निदेशक के कार्यालय कक्ष में लगा हुआ BSWAN का Video Conference हेतु उपकरण खराब हो गया है। जिसके कारण Video Conference नहीं हो पा रहा है। उप निदेशक (शष्य) सूचना को निदेश दिया गया कि NIC से कृषि विभाग हेतु अलग से Video Conference की सुविधा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाय।
9. I.T. Manager, कृषि विभाग को निदेश दिया गया कि सभी जिला कृषि पदाधिकारी के कार्यालय से Video Conference की सुविधा प्रदान करने हेतु आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।

धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

22.11.17

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 8/कृ0नि0यो0वि0–36/15– 6939 पटना, दिनांक :– 22/11/17

प्रतिलिपि :– कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बी0आर0बी0एन0, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, कृषि, बिहार के आप्त सचिव, बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार के आप्त सचिव/मुख्यालय स्थित सभी संयुक्त निदेशक एवं उप निदेशक/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक/बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी परियोजना निदेशक, आत्मा/सभी योजना के नोडल पदाधिकारी/सभी जिला के नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.11.17

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 8/कृ0नि0यो0वि0–36/15– 6939 पटना, दिनांक :– 22/11/17

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों के ई–मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

22.11.17

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।